

F.No.349/ 87/2017-जीएसटी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
(जीएसटी पॉलिसी विंग)

नई दिल्ली

दिनांक 18 जुलाई, 2019

सेवा में

प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त

प्रधान आयुक्त/केन्द्रीय कर आयुक्त (सभी)

प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक (सभी)

महोदय/महोदया,

विषय: सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (आईटीईएस सेवाएं) की आपूर्ति से संबंधित संदेहों पर स्पष्टीकरण के संबंध में ।

सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (एतदपश्चात् आईटीईएस सेवाओं के रूप में संदर्भित) जैसे कॉल सेंटर, व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग आदि सेवाओं की आपूर्ति और जीएसटी कानून के तहत विदेशी संस्थाओं के लिए और "मध्यस्थ" सेवाओं की आपूर्ति निर्यात के लिए अर्हता रखते हैं या नहीं, से संबंधित मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगे जाने हेतु विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

2. व्यापार और उद्योग द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को देखते हैं और कानून के प्रावधानों के क्षेत्र में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, बोर्ड, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 168 (1) (एतदपश्चात् 'सीजीएसटी अधिनियम' के रूप में संदर्भित) प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा आगे आने वाले अनुच्छेदों में इन मुद्दों का स्पष्ट करता है ।

3. एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (एतदपश्चात् 'आईजीएसटी' अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 2 की उपधारा (13) में मध्यस्थ को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है।

“मध्यवर्ती से कोई दलाल, कोई अभिकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति, जिस भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है, जो दो या अधिक व्यक्तियों के बीच माल या सेवाओं या दोनों की या प्रतिभूतियों की पूर्ति का इंतजाम करता है या उसे सुकर बनाता है किन्तु इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की या प्रतिभूतियों की पूर्ति अपने वास्ते करता है:

3.1 मध्यस्थ की परिभाषा में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे व्यक्ति अर्थात् वह व्यक्ति जो ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों या प्रतिभूतियों की आपूर्ति अपने खाते से करता है, को विशेष रूप से बाहर रखे जाने का प्रावधान किया गया हो। इसीलिए, सेवाओं के आपूर्तिकर्ता को 'मध्यस्थ' के रूप में नहीं माना जाएगा भले ही जहां सेवाओं का आपूर्तिकर्ता 'एक एजेंट/ब्रोकर या किसी अन्य व्यक्ति' होने के लिए योग्य हो यदि वह अपने स्वयं के खाते से सेवाओं की आपूर्ति में शामिल हो।

4. सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आईटीईएस सेवाएं) को, हालांकि जीएसटी कानून के तहत परिभाषित नहीं किया गया है, आयकर नियमावली, 1962 के नियम 10 टी ए के उपनियम (इ) के तहत परिभाषित किया गया है, जोकि अंतर्राष्ट्रीय लेने-देनों के लिए सुरक्षित हार्बर नियमों से संबंधित है। यह आईटीईएस सेवाओं को इस प्रकार परिभाषित करता है।

“सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं का अर्थ है मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता या सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा प्रदान की जाने वाली निम्नलिखित व्यावसायिक प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाएं अर्थात:-

- (i) बैंक ऑफिस ऑपरेशन;
- (ii) कॉल सेंटर या संपर्क केंद्र सेवाएं;
- (iii) डाटा प्रोसेसिंग तथा डाटा माइनिंग;
- (iv) बीमा दावा प्रोसेसिंग;
- (v) कानूनी डाटाबेस;
- (vi) चिकित्सा परामर्श को छोड़कर मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का निर्माण एवं रखरखाव;

- (vii) अनुवाद सेवाएं;
- (viii) पेट्रोल;
- (ix) दूरस्थ रखरखाव;
- (x) राजस्व लेखांकन;
- (xi) सहायता केंद्र;
- (xii) वेबसाइट सेवाएं
- (xiii) डाटा सर्च एकीकरण तथा विश्लेषण;
- (xiv) शिक्षा सामग्री विकास को छोड़कर दूरस्थ शिक्षा; या
- (xv) नैदानिक परीक्षण को छोड़कर नैदानिक डाटाबेस प्रबंधन सेवाएं, परंतु किसी अनुसंधान तथा विकास सेवाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया चाहे वे अनुबंध अनुसंधान तथा विकास सेवाओं के प्रकार की हों अथवा नहीं;

5. ऐसी विभिन्न परिस्थितियों की संभावना है जहां भारत में स्थित आईटीईएस सेवाओं का आपूर्तिकर्ता भारत से बाहर स्थित क्लाइंट को या उसकी ओर से सेवाओं की आपूर्ति करता है तो इन परिस्थितियों की जांच की गई है और नीचे विस्तार से चर्चा की जा रही है

5.1 परिदृश्य-I

आईटीईएस सेवाओं का आपूर्तिकर्ता उपर्युक्त पैरा 4 में सूचीबद्ध, बैक एंड सेवाओं की आपूर्ति करता है। इस प्रकार की परिस्थिति में, आपूर्तिकर्ता आईजीएसटी अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (13) के तहत परिभाषित मध्यस्थ के दायरे में नहीं आएगा, जहां ऐसी सेवाओं की आपूर्ति, आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने स्वयं के सेवाएं खाते से प्रदान की जाती है। यहां तक कि जब आई टी एस सेवा प्रदाता, अपने क्लाइंट के ग्राहक को, अपने क्लाइंट की ओर से, सेवाओं की आपूर्ति करता है लेकिन इन सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति उसी की ओर से हों तब इसे मध्यस्थ की श्रेणी में नहीं गिना जा सकता है दूसरे शब्दों में, आपूर्तिकर्ता 'ए' उपर्युक्त पैरा 4 में सूचीबद्ध सेवाओं की आपूर्ति अपने क्लाइंट 'बी' या अपने क्लाइंट के ग्राहक 'सी' को अपने स्वयं के खाते से करता है, तो आईजीएसटी अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (13) के अनुसार मध्यस्थ नहीं होगा।

5.2 परिदृश्य-II

भारत में स्थित बैंक एंड सेवाओं के आपूर्तिकर्ता द्वारा भारत से बाहर स्थित क्लाइंट के द्वारा क्लाइंट के ग्राहक को माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति का प्रबंध करता है या उसके लिए सुविधा प्रदान करता है। ऐसी बैंक एंड सेवाओं में डिलीवरी से पूर्व, डिलीवरी तथा आपूर्ति की डिलीवरी के बाद सहायता सेवाएं (जैसे आर्डर प्लेसमेंट तथा डिलीवरी तथा लॉजीस्टिकल सपोर्ट, प्रासंगिक सरकारी मंजूरी प्राप्त करना, माल का परिवहन, बिक्री के बाद का सपोर्ट तथा अन्य सेवाएं आदि) आदि सेवाएं हो सकती हैं। ऐसी सेवाओं का आपूर्तिकर्ता आईजीएसटी अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (13) के तहत मध्यस्थ के दायरे में आएगा क्योंकि ये सेवाएं केवल दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आपूर्ति की व्यवस्था या उसमें सुविधा प्रदान कर रही हैं। दूसरे शब्दों में, आपूर्तिकर्ता 'ए' अपने क्लाइंट 'बी' के ग्राहक 'सी' को उपर्युक्त परिदृश्य के तहत सूचीबद्ध बैंक एंड सेवाओं की आपूर्ति कर रहा है, जो आईजीएसटी अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (13) के संदर्भ में मध्यस्थ होगा।

5.3 परिदृश्य-III

आईटीईएस सेवाओं का आपूर्तिकर्ता विदेश में स्थित क्लाइंट के लिए या उसकी ओर से उपर्युक्त पैरा 4 में सूचीबद्ध बैंक एंड सेवाओं की आपूर्ति अपने स्वयं के खाते से करता है तथा आपूर्ति की डिलीवरी से पूर्व, डिलीवरी के दौरान तथा डिलीवरी के बाद विभिन्न सहायता सेवाओं की व्यवस्था या सुविधा प्रदान करता है। इस मामले में, आपूर्तिकर्ता अपने क्लाइंट या अपने क्लाइंट के ग्राहक को दो प्रकार की सेवाएं, अर्थात् आईटीईएस सेवाएं तथा विभिन्न सहायता सेवाएं। क्या ऐसी सेवाओं का आपूर्तिकर्ता आईजीएसटी अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (13) के तहत मध्यस्थ के दायरे में आएगा या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। दूसरे शब्दों में, क्या आपूर्तिकर्ता "ए" उपर्युक्त सूचीबद्ध सहायता सेवाओं के साथ-साथ उपर्युक्त परिदृश्य में सूचीबद्ध सेवाओं की आपूर्ति अपने क्लाइंट "बी" को तथा/या अपने क्लाइंट के ग्राहक 'सी' को कर रहा है, आईजीएसटी अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (13) के संदर्भ में मध्यस्थ है अथवा नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित किया जाना होगा तथा यह भी ध्यान में रखते हुए किया जाना होगा कि कौन सी सेवाओं के सेट प्रमुख/मुख्य आपूर्ति है।

5 यह भी स्पष्ट किया गया है कि आईटीई सेवाओं का आपूर्तिकर्ता, जो कि आईजीएसटी अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (13) के संदर्भ में मध्यस्थ नहीं है, सेवाओं के निर्यात का लाभ उठा सकता है, यदि वह आईजीएसटी अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (6) में उल्लिखित मानदंडों को पूरा करता है, जो निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :-

“सेवाओं का निर्यात” का अर्थ है किसी भी सेवा की आपूर्ति जब:-

- (i) सेवाओं का आपूर्तिकर्ता भारत में स्थित हो;
- (ii) सेवाओं को प्राप्त करने वाला भारत से बाहर स्थित हो;
- (iii) सेवा की आपूर्ति का स्थान भारत से बाहर हो;
- (iv) सेवा के आपूर्तिकर्ता द्वारा ऐसी सेवा का भुगतान परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया गया हो; तथा
- (v) सेवाओं के आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता धारा 8 के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार महज किसी विशेष व्यक्ति के स्थापन नहीं है ।

6. यह अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त ट्रेड नोटिस को इस परिपत्र की सामग्री को प्रकाशित करने हेतु जारी किए जा सकते हैं।

7. इस परिपत्र के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई हो तो वे इसे बोर्ड के ध्यान में लाया जा सकता है ।

हिन्दी संस्करण का अनुसरण किया जाए ।

(उपेन्द्र गुप्ता)

प्रधान आयुक्त (जीएसटी)